

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/409

लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी चारभुजा जी के मंदिर के पास ग्राम
चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

मेहताब सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी
जिला कोटा ।

—रेसपोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री वी० सी० मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री मेघराज सिंह शक्तावत, श्री अंसार अहमद अभिभाषक, रेसपोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक: 09.02.2018

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के
विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेसपोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी
खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.50 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त
आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया
जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 07.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को
बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी
अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने एवं अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में तनकीयात कायम कर दी गई थी और साक्ष्य प्रारम्भ हो चुकी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व न्यायालय में रखते हुए निर्णित कर दिया । उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि को वादी द्वारा अपीलान्त को बेचान कर दिया था । अपीलान्त उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।
7. रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोंडेन्ट के खातेदारी की भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्त को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 बहाल रखा जावे ।
8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोंडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त ने कब्जा कर लिया है उक्त भूमि में अपीलान्त की हैसियत एक अतिक्रमी के रूप में से जिससे वादी रेस्पोंडेन्ट अपने खातेदारी की भूमि से उसे बेदखल कराने का अधिकारी है ।
9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।
10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 07.06.2017 बहाल रखा जाता है ।
11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

(पंकज कुमार ओझा)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा